

भारतीय आयकर विवरणी पावती [जहां आय विवरणी का डाटा आईटीआर-1(सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 में दायर किए गए तथा सत्यापित किए गए] (कृपया आय-कर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखिए)		निर्धारण वर्ष 2022-23	
स्थायी खाता संख्या			
नाम			
पता			
स्थिति	फार्म संख्या		
धारा के अंतर्गत दायर	ई-फाइलिंग पावती संख्या		
कर योग्य आय तथा कर व्योरे	चालू वर्ष बिजनेस क्षति, यदि कोई हो	1	
	कुल आय		
	मैट के अंतर्गत बुक प्रोफिट, जहां लागू हो	2	
	एएमटी के अंतर्गत कुल आय जहां लागू हो	3	
	देय निवल कर	4	
	देय ब्याज तथा फीस	5	
	देय कुल कर, ब्याज तथा फीस	6	
	अदा किया गया कर	7	
	(+)-देय कर /(-)वापिस किए जाने योग्य (6-7)	8	
क्र.सं.	धारा 115नघ के अनुसार मान्यता प्राप्त आय	9	
	धारा 115नघ के अंतर्गत देय अतिरिक्त कर	10	
	धारा 115नघ के अंतर्गत देय ब्याज	11	
	देय अतिरिक्त कर तथा ब्याज	12	
	अदा किया गया कर तथा ब्याज	13	
	(+)-देय कर /(-)वापिस किए जाने योग्य (12-13)	14	
दिनांक..... को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत आयकर विवरणीआईटी पते से द्वारा सत्यापित की गई.....पैन रखने वाले.....को..... पेपर आईटीआर सत्यापन फार्म/ इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड का प्रयोग करकेमोड के माध्यम से सृजित किया गया।			
सिस्टम सृजित वार कोड/क्यू आर कोड			

* जहां लागू नहीं है, काट दें

इस पावती को सीपीसी, बैंगलूरु को नहीं भेजे ."